

अधिकार प्रदान करना-2

अनुलग्नक-ए

निम्न मामलों में निदेशक मंडल और / अथवा सरकार की अनुमति आवश्यक होगी :

I. बजट तथा योजनाएं

- (1). कंपनी का पूंजीगत बजट
- (2). कंपनी का वार्षिक राजस्व बजट, अगर इसमें कोई घाटा सरकार से फंड लेकर पूरा किया जाना हो.
- (3). कंपनी के लिये दीर्घावधि की अन्य योजनाएं तथा कार्यक्रम.

II. निर्माण के लिये फिल्मों का चुनाव.

चुनाव / जांच समिति द्वारा जिन फिल्मों के निर्माण की सिफारिश की गई हो उनके संबंध में निदेशक मंडल की स्वीकृति आवश्यक है.

III. कर्मचारीगण:

- (ए) उप प्रबंधक से ऊंचे पदों का सृजन / नियुक्तियां / भर्ती.
- (बी) कंपनी के कर्मचारियों की पदोन्नति, नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण मामले, सेवा से संबंधित अन्य शर्तें तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही, अवकाश, यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ते, बोनस, निवास का किराया, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, अन्य लाभ, अवकाश ग्रहण संबंधी लाभ आदि.

IV. बट्टा खाता:

उप पैरा	विवरण	सीमा	टिप्पणी
ए)	नगद घाटा	रु. 50,000	-सीमाएं मामलों के आधार पर हैं. -उप पैरा (बी) के लिये कीमत का अर्थ होगा घाटे की तिथि को दर्ज कीमत.
बी)	नगद के अलावा अन्य घाटे	रु. 5 लाख	
सी)	ठेकेदारों पर बकाया	रु. 10 लाख.	
डी)	सेवाओं के लिये दी गई जमा राशि बिजली / टेलीफोन कंपनियां / जल बोर्ड आदि	रु. 11 लाख	

- नगद घाटे के बड़े खातों के मामलों में सूचनार्थ इसकी रिपोर्ट बोर्ड को दी जानी चाहिये.
- इन सीमाओं से अधिक के बड़े खाते एवं चोरी, छलकपट अथवा गबन के कारण हुए किसी भी नुकसान के संबंध में निदेशक मंडल की स्वीकृति आवश्यक होगी.
- उप पैरा (सी) के मामलों में अस्तित्व में आ जाने वाली स्थितियों में, जैसे न्यायालय के बाहर की लिये गये समझौते आदि, जहां निदेशक वित्त के जरिये बनी किसी समिति द्वारा फैसला करवा दिया गया हो, उसे प्रबंध निदेशक से स्वीकृत करा लेना होगा और बाद में निदेशक मंडल को इसकी सूचना दे देनी होगी.

- v (1). सहायक कंपनी / संयुक्त उपक्रम की स्थापना.
- (2). किसी भी ऐसी वस्तु पर किया गया कोई भी खर्च जिस वस्तु को कंपनी ने इसके पहले कभी स्वीकृत न किया हो,